संख्या-2024/ 001-577-42-2024

प्रेषक,

राजेश कुमार-।।,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खेल अनुभाग लखनऊ : दिनांक-22/03/2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें 104-खेलकूद 2301-स्पोर्ट्स कालेज गोरखपुर को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी-1401/2023-24,दिनांक 04.03.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल संलग्न बी0एम0-9(भाग-1) प्रपत्र संख्या- A042-20232024-57742-2024, दिनांक- 21-03-2024 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें 104-खेलकूद 2302-स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ को अनुदान-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में हो रही रूपये **50.00 लाख** की बचतों से लेखाशीर्षक 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें 104-खेलकूद 2301-स्पोर्ट्स कालेज गोरखपुर को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में उक्त सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) निदेशक, खेल द्वारा बचत की मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

(2) पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का समर्पण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(4) धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों के अनुसार उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिस प्रयोजन के लिये पुनर्विनियोग किया जा रहा है।

(5) प्रशा0 विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्टि प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का बिल निदेशक, खेल द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करके धनराशि कोषागार से आहरित की जायेगी तथा सचिव, उत्तर प्रदेश स्पोर्टस कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ के माध्यम से व्यय हेतु प्रधानाचार्य, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज, गोरखपुर के निर्वतन पर रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) निदेशक, खेल द्वारा योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत स्वीकृति निदेशक, खेल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि बजट के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पाई जाती है, तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, खेल का होगा।

(9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी0-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2024/001-271422024, दिनांक 10.02.2024 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 022 **लेखा शीर्षक** 2204001042301 स्पोर्ट्स कालेज गोरखपुर को अनुदान-- **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
राजेश कुमार-।।
विशेष सचिव।

संख्या-2024/001-577-42-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (आडिट) उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- सचिव, उत्तर प्रदेश स्पोर्टस कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज, गोरखपुर ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
7- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,
हृदय नारायण सिंह यादव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A042-20232024-57742-2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें 104-खेलकूद 2301-स्पोर्ट्स कालेज गोरखपुर को अनुदान-20-सहायता अनुदान-(सामान्य) (गैर वेतन) मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

,

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
022	2204001042302 (स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ को अनुदान)	31 (सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन))	6,83,13,000 रुपये छह करोड़ तिरासी लाख तेरह हजार मात्र	1,55,21,000 रुपये एक करोड़ पचपन लाख इक्कीस हजार मात्र	60,06,000 रुपये साठ लाख छह हजार मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	6,33,13,000 रुपये छह करोड़ तैंतीस लाख तेरह हजार मात्र	2023 - 2024
022	2204001042301 (स्पोर्ट्स कालेज गोरखपुर को अनुदान--)	31 (सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन))	2,11,15,000 रुपये दो करोड़ ग्यारह लाख पंद्रह हजार मात्र	42,63,000 रुपये बयालीस लाख त्रेसठ हजार मात्र	42,63,000 रुपये बयालीस लाख त्रेसठ हजार मात्र	0	2,11,15,000 रुपये दो करोड़ ग्यारह लाख पंद्रह हजार मात्र	2023 - 2024
कुल					₹ 1,02,69,000	₹ 50,00,000		

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
022	2204001042301 (स्पोर्ट्स कालेज गोरखपुर को अनुदान--)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	4,00,00,000 रुपये चार करोड़ मात्र	1,02,69,000 रुपये एक करोड़ दो लाख उनहत्तर हजार मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	4,50,00,000 रुपये चार करोड़ पचास लाख मात्र	2023-2024
कुल				₹ 1,02,69,000	₹ 50,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :-

प्रधानाचार्य स्पो0 कालेज गोरखपुर के पत्र दिनांक 23.02.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें 104-खेलकूद 2301-स्पोर्ट्स कालेज गोरखपुर को अनुदान-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में रू0 42.63 लाख की बचत सभावित होगी एवं प्रधानाचार्य स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ के पत्र दिनांक 29.02.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में लेखाशीर्षक 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें 104-खेलकूद 2302-स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ को अनुदान-31-सहायता अनुदान -सामान्य (वेतन) मद में रू0 2,06,48,953/- की सम्भावित बचत होगी, जिसके सापेक्ष रू0 60.06 लाख गोरखपुर हेतु पुनर्विनियोग प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

सचिव प्रबन्ध समिति, स्पोर्ट्स कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ के पत्र दिनांक 23.02.2024 के साथ संलग्न प्रधानाचार्य, स्पोर्ट्स कालेज, गोरखपुर के पत्र एवं पत्र दिनांक 23.02.2024 द्वारा चतुर्थ किश्त में प्राप्त अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं वास्तविक व्यय विवरण संलग्न करते हुए 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें 104-खेलकूद 2301-स्पोर्ट्स कालेज, गोरखपुर को अनुदान -20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 1,02,68,084/- की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-746-E-5-307-X-2023-24-दिनांक:21-03-2024

सेवा में,
महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तलर प्रदेश प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

राजेश कुमार-।।
विशेष सचिव।

कपिल देव भारती
अनु सचिव

संख्या : A042-20232024-57742-2024 , दिनांक-21-03-2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, खेल, खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
5- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से
राजेश कुमार-।।
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।